उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

संख्या : 167 –रिफार्म /उनिलि/2008/पाली नीति दिनांक : दिसम्बर 20, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विभिन्न ताप विद्युत गृहों से समय–समय पर कार्मिकों की पाली में तैनाती सम्बन्धी प्रकरण पर परिवाद प्राप्त होते रहते हैं । इस संदर्भ में निदेशक (कार्मिक) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के पत्र संख्या 91/रिफार्म/मा0सं0/पालीनीति दिनांक 07–11–2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जारी किये गये निर्देशों/सुझावों का पालन किया जाना आवश्यक है।

यदि उक्त निर्देशों / सुझावों से निगम कार्यहित में विचलन की आवश्यकता हो तो ऐसी विशेष परिस्थितियों के विवरण को प्रदान करते हुये, निदेशक (तकनीकी) से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही की जानी चाहिये।

प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक : यथोपरि

संख्या : 167–रिफार्म /उनिलि/2008/पालीनीति तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव ।
2– निदेशक (तकनीकी/कार्मिक/वित्त) के निजी सचिव ।
3– मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह।
4– मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/पी0पी0एम0एम0 इकाई, लखनऊ।
5– कम्पनी सचिव,उ0नि0लि0, लखनऊ।
6– उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01/02/03/04/05/06/टांडा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, लखनऊ।

(राजीव गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफार्म)

LP RVUNL

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन विस्तार, 8वां तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक : 91 / रिफॉर्म / मा.सं. / पाली नीति

दिनांक : नवम्बर 7, 2005

मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक,
ताप विद्युत गृह,
अनपरा / ओबरा / हरदुआगंज / पनकी / पारीछा
सोनभद्र / सोनभद्र / कासिमपुर,अलीगढ़ / कानपुर / झांसी

विषय : अधिशासी अभियंताओं की पाली में तैनाती के सम्बन्ध में।

यह संज्ञान में आया है कि कुछ तापीय विद्युत गृहों पर अधिशासी अभियंताओं की पाली में तैनाती के सम्बन्ध में भ्रम व्याप्त है जिसके कारण अधिशासी अभियंताओं की पाली में तैनाती या तो की नहीं जा रही है या कतिपय अधिशासी अभियंताओं द्वारा अधिशासी अभियंता पद पर पाली सेवा न किये जाने के कारण विद्युत गृहों पर असंतोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि अभियंताओं हेतु विस्तृत पाली सेवा नीति निदेशक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है। निदेशक मंडल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम आदेशों तक यह सलाह दी जाती है कि अधिशासी अभियंताओं को, अधिशासी अभियंता के पद पर विद्युत गृह में पदभार ग्रहण किये जाने की तिथि के आधार पर, वरिष्ठता क्रम में पाली सेवा में नियुक्त किया जाये।

पी.सी. पण्डा

(पी.सी.पण्डा)
निदेशक (कार्मिक)

7/11/05